

उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 संपठित उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन (संशोधन नियमावली) 2015 के अधीन जनपद देहरादून के निबंधन उप जिला चकराता (तहसील चकराता, कालसी, त्यूणी) के नगरीय क्षेत्रों एवं प्रमुख मार्गों/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण

(दिनांक 04 जनवरी 2016 से प्रभावी यथा संशोधित प्रवृत्त दिनांक 16 जून 2016 एवं यथा संशोधित प्रवृत्त दिनांक 05 अगस्त 2016)

(झरना कमठान)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून

(सविनाथ रमन)

आई0ए0एस0
कलेक्टर, देहरादून

कार्यालय कलेक्टर, देहरादून

पत्रांक: 780 /स्टाम्प लिपिक-मू0सू0/2016-17

दिनांक: 05 अगस्त, 2016

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:

- 1-साथिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून
- 2-महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून
- 3-जिला निबंधक देहरादून
- 4-जिला स्टाम्प अधिकारी देहरादून
- 5-सहायक महानिरीक्षक निबंधन देहरादून
- 6-उप जिलाधिकारी चकराता, कालसी, त्यूणी
- 7-उप निबंधक चकराता, कालसी, त्यूणी
- 8-तहसीलदार चकराता, कालसी, त्यूणी

(सविनाथ रमन)

आई0ए0एस0
कलेक्टर, देहरादून

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली 1997 के अधीन जनपद देहरादून की तहसील चकराता, कालसी एवं त्यूणी के नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के लिये न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण
(दिनांक 04 जनवरी, 2016 से प्रभावी यथा संशोधित प्रवृत्त दिनांक 16 जून, 2016 एवं यथा संशोधित प्रवृत्त दिनांक 05 अगस्त, 2016)
तहसील चकराता जनपद-देहरादून
नगरीय क्षेत्र

क्रमांक	प्रमुख मार्ग/राजस्व (मोहल्ला/यामों की श्रेणी)	प्रमुख मार्ग/राजस्व यामों का नाम/मोहल्ला/	सामान्य दर (Base Rate)						
			कृषि भूमि प्रति है।0)	अकृषि भूमि/सम्पत्ति/ (वर्गमी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासीय प्लॉट सुपर) परिया प्रति वर्गमीटर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रति) वर्गमी०)	
						दुकान/रेस्टोरेंट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिव्ययन	सुपर परिया प्रति वर्ग मीटर)	लिट्टरा/श
1	A	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A	-	-	-	-	-	-	-	-
2	B	-	-	-	-	-	-	-	-
3	C	-	-	-	-	-	-	-	-
4	D	-	-	-	-	-	-	-	-
5	E	-	-	-	-	-	-	-	-
6	F	-	-	-	-	-	-	-	-
7	G	-	-	-	-	-	-	-	-
8	H	-	-	-	-	-	-	-	-
9	I	-	-	-	-	-	-	-	-
10	J	-	-	-	-	-	-	-	-

(भरना कमठान)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली 1997 के अधीन जनपद देहरादून की तहसील चकराता, कालसी एवं त्यूणी के नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के लिये न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण

(दिनांक 04 जनवरी, 2016 से प्रभावी यथा संशोधित प्रवृत्त दिनांक 16 जून, 2016 एवं यथा संशोधित प्रवृत्त दिनांक 05 अगस्त, 2016)
तहसील चकराता जनपद-देहरादून
अर्द्ध-नगरीय क्षेत्र

क्रमांक	प्रमुख मार्गराजस्व/मीहल्ला/शामो की श्रेणी	प्रमुख मार्गराजस्व शामों का नाम/मीहल्ला/	कृषि भूखे प्रति है००१ (बाख रूपरे में)	अकृषि भूखिसम्पत्ति/ (प्रति वर्गमी०)	सामान्य दर (Base Rate)				
					बहुसंजलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासीय प्लॉट (सुपर) परिया प्रति वर्ग (मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर सुपर परिया प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रति वर्गमी०)	टीनपोश
1	A	2	3	4	5	6	7	8	9
		1- जोगिया (क्वासी)	26.40	440	13640	40100	33500	13200	10500
		2- लाखाभण्डल	26.40	440	13640	40100	33500	13200	10500
		3- माखटी	26.40	440	13640	40100	33500	13200	10500
		4- छटौ	26.40	440	13640	40100	33500	13200	10500
		5- टाणा	26.40	440	13640	40100	33500	13200	10500
		6- टुंगरा	26.40	440	13640	40100	33500	13200	10500
		7- कौटा मझगांव व महलौत (कवानू)	26.40	440	13640	40100	33500	13200	10500

(शरणी कमठान)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली-1997 के अधीन जनपद देहरादून की तहसील चकराता, कालसी एवं त्यूणी के नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के लिये न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण (दिनांक 04 जनवरी, 2016 से प्रभावी यथा संशोधित प्रवृत्त दिनांक 16 जून, 2016 एवं यथा संशोधित प्रवृत्त दिनांक 05 अगस्त, 2016) तहसील चकराता जनपद-देहरादून

ग्रामीण क्षेत्र

क्रमांक	प्रमुख मार्गराजस्व (मीहल्ला/ ग्रामों की श्रेणी)	प्रमुख मार्गराजस्व ग्रामों का नाम/मीहल्ला/	कृषि भूमि प्रति हे।0)	अकृषि भूमिसम्पत्ति/ (प्रति वर्गमी०)	बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थिति आवासीय प्लॉट (सुर) परिया प्रति वर्ग (मीटर)	सामान्य दर (Base Rate)			गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रति वर्गमी०)	टीनपोश
						वाणिज्यिक भवन की दर प्रति वर्ग (मीटर)	दुकान/रैस्टोरैन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	A	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1- कौरवा	15.40	420	13620	44000	28000	13200	10500	
		2- कोटी (बमटाड)	15.40	420	13620	44000	28000	13200	10500	
		3- सैन्ज (बमटाड)	15.40	420	13620	44000	28000	13200	10500	
		4- जाडी	15.40	420	13620	44000	28000	13200	10500	
		5- लौहारी	15.40	420	13620	44000	28000	13200	10500	
		6- मुगाड	15.40	420	13620	44000	28000	13200	10500	

(अरना कमलान)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून ।

2	1 B	2	3	4	5	6	7	8	9
		1- घौर-पुडिया	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		2- कान्डी-बागा-गाला	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		3- कन्डोई (बौन्दर)	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		4- नौली	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		5- रिखाड	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		6- सेन्सा	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		7- सिजला	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		8- हाजा	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		9- पुनाहा-पोखरी	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		10- मोहना	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		11- सुजी	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		12- सावरा	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		13- इन्दोली	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		14- किलसेली	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		15- डाडुवा	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		16- मताड	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		17- गमरी	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		18- मलेया	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		19- दुडवा	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		20- हजटा	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		21- जापुवा	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		22- नरया	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		23- सलगा	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		24- कोथी	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		25- बिरपा	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		26- लावडी-वतसोटा	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500
		27- विसी	13.20	400	13600	33600	26800	13200	10500

(शरना कमलान)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून ।